

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर/अग्रिम योजना,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 26/11/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पौषण/अनुरक्षण कार्य हेतु रु. 282.94 लाख (दो करोड़ बेरासी लाख चौरानबे हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-15/21-22, दिनांक-09.09.2021 (Online AA-971/22.09.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मौग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड :- 49S47018078946000545	88.49
2.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य/	001-निर्देशन तथा प्रशासन/46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S47018000146000545	132.32
3.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोग/46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49S47018079646000545	62.13
				282.94

आवंटित राशि - रु दो करोड़ बेरासी लाख चौरानबे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शीर्ष 49S47018078946000545 के बजट उपबंध की राशि रु 200.00 लाख (दो करोड़), शीर्ष 49S47018000146000545 के बजट उपबंध की राशि रु 300.00 लाख (तीन करोड़) एवं 49S47018079646000545 के बजट उपबंध की राशि रु 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से मह. लेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1,2 एवं 3 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 170

राँची, दिनांक :- 26/11/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/दुमका/गोड्डा/गढ़वा/भेदिनीनगर/पलामू/गिरिडीह/तेनुघाट/चाईबासा/चक्रधरपुर/जामताड़ा/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 170

राँची, दिनांक :- 26/11/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास, विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/अवर सचिव प्रशाखा-7 /सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 170

दिनांक 26/11/21

का अनुलग्नक परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

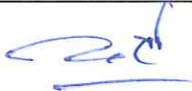
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S47018078946000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध रु 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMIR013)	राँची	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई के रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुसूचण कार्य हेतु।	15/21-22 प्र.स्वी. दिनांक 09.09.2021 Online AA-971/22.09.2021	12.21	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	59752	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
2	सिंचाई प्रमंडल, बुँडू (RNCIRR011)				45.67	0.00	0.00	45.67	45.67	45.67	59753	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
3	जलपथ प्रमंडल, खुँटी (RNCIRRK02)				10.82	0.00	0.00	10.82	10.82	10.82	59754	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
4	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)				26.78	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	59755	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
5	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चकधरपुर (SGHIRR016)				15.66	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	59756	प्रमंडल अंतर्गत 6 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
योग					111.14	0.00	0.00	88.49	88.49	88.49		
आवंटित राशि -रु अठासी लाख उन्चास हजार मात्र।												


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 170 दिनांक 26/11/21

का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड-49S47018000146000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध रु 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

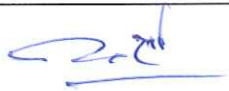
क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCCMMF59)	देवघर	सिंचाई योजनाओं के वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई दे रही वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई कार्य हेतु। सामान्य सम्पोषण/अनुक्षण कार्य हेतु। वितीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई कार्य हेतु।	15/21-22 प्र.स्वी. दिनांक 09.09.2021 Online AA-971/22.09.2021	1.44	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44	59772	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
2	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR001)				5.15	0.00	0.00	5.15	5.15	5.15	59773	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
3	सिंचाई प्रमंडल, सं0-2, जामताड़ा (JMTMIR002)				8.24	0.00	0.00	5.75	5.75	5.75	59774	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
4	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडंगाल (JMTMIR005)				21.63	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	59775	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
5	सिंचाई प्रमंडल, कुंडहित (JMTMIR003)				37.08	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	59776	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
6	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001)	मेदिनीनगर			6.51	0.00	0.00	6.51	6.51	6.51	59779	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
7	कदवन बौध प्रमंडल, नगर उँटारी गढ़वा (GRHIRR013)				2.99	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	59780	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
8	जलपथ प्रमंडल, भेदिनीनगर (PLMIRR003)				38.91	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	59781	प्रमंडल अंतर्गत 9 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
9	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081)				7.54	0.00	0.00	4.75	4.75	4.75	59782	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

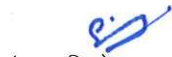
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	आयोजन एवं मोनि0 प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR007)	मेदिनीनगर	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुसंधान कार्य हेतु।	15/21-22 प्र.स्वी. दिनांक 09.09.2021 Online AA-971/22.09.2021	4.28	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	59783	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
11	रूपांकण प्रमंडल सं -2, मेदिनीनगर (PLMIRR001)				1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	59784	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
12	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन (PLMIRR095)				27.40	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	59785	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
13	रूपांकण प्रमंडल सं -1, मेदिनीनगर (PLMIRR012)				4.02	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	59786	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
14	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग			15.76	0.00	0.00	15.76	15.76	15.76	59787	प्रमंडल अंतर्गत 11 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
15	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIRR017)				9.68	0.00	0.00	9.68	9.68	9.68	59788	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
16	तेनुघाट बौध प्रमंडल तेनुघाट (BKRIRR002)				4.02	0.00	0.00	3.14	3.14	3.14	59789	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
योग					196.30	0.00	0.00	132.32	132.32	132.32		
आवंटित राशि -रु एक करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र।												



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव

170
26/11/21

विभागीय पत्रांक 170 दिनांक 26/11/21

का अनुलग्नक परिशिष्ट - 3

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S47018079646000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध रु 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई के रही वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुसंधान कार्य हेतु।	15/21-22 प्र.स्वी. दिनांक 09.09.2021 Online AA-971/22.09.2021	40.47	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	59763	प्रमंडल अंतर्गत 8 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
2	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	राँची			14.46	0.00	0.00	14.46	14.46	14.46	59759	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
3	जलपथ प्रमंडल सं. -1, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR004)				3.09	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	59768	प्रमंडल अंतर्गत 1 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
4	जलपथ प्रमंडल सं. -2, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR008)				5.87	0.00	0.00	5.87	5.87	5.87	59770	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
5	जलपथ प्रमंडल सं. -1, सिमडेगा (SDGIRR001)				13.98	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	59771	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
योग					77.87	0.00	0.00	62.13	62.13	62.13		
आवंटित राशि -रु बासठ लाख तेरह हजार मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव